भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †4112
दिनांक 12.08.2026 को उत्तर देने के लिए

एसएएससीआई के तहत खनन-सुधार प्रोत्साहन

†4112. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोलेः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) के अंतर्गत खनन-सुधार प्रोत्साहन घटक का ब्यौरा क्या है और किन-किन सुधार क्षेत्रों के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रोत्साहन के पात्र हैं;
(ख) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रोत्साहन का लाभ उठाने वाले राज्यों की संख्या का ब्यौरा क्या है और उनको कुल कितनी राशि संवितरित की गई है; और
(ग) क्या किसी राज्य ने अब तक निर्धारित सुधार शर्तों को पूरा किया है और चालू वित्तीय वर्ष के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए पात्र हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत अब तक कितने प्रमुख खनिज ब्लॉकों की इस योजना के तहत पूर्व अनापत्ति के प्राप्त करने के उपरांत नीलामी की गई है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चंद्र दुबे)

(क): वित्त वर्ष 2026-27 में, पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता स्कीम (एसएएससीआई) के भाग-V (खनन क्षेत्र सुधार) के तहत खनन सुधारों को तीन घटकों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात्—घटक-I (खनन सुधारों का कार्यान्वयन), घटक-II (खानों का प्रचालन) तथा घटक-III (राज्य खनन तत्परता सूचकांक-आधारित सुधार)। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (जहां विधानमंडल हैं) इन घटकों के तहत वित्तीय प्रोत्साहन के लिए निर्धारित सुधार कार्यों को पूरा करने पर आवेदन करने के लिए पात्र हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, खान मंत्रालय के एकीकृत खनन पोर्टल (यूएमपी) के साथ राज्य का एकीकरण; नीलामी-पूर्व

समिति और राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन; प्रमुख खनिजों के लिए वार्षिक नीलामी कैलेंडर का प्रकाशन; पूर्व-निर्धारित मंजूरी के साथ प्रमुख खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी; और निर्धारित लक्ष्य के अनुसार नीलाम किए गए प्रमुख खनिज ब्लॉकों का प्रचालन शामिल है।

(ख): वित्त वर्ष 2025-26 में, 14 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र (जहां विधानमंडल हैं) ने निर्धारित सुधार शर्तों को पूरा किया और कुल ₹ 3,000 करोड़ की वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ उठाया। इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और वित्त वर्ष 2025-26 में जारी की गई राशि का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग): वित्त वर्ष 2026-27 में, इस स्कीम के तहत अब तक किसी भी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र (जहां विधानमंडल हैं) का मूल्यांकन नहीं किया गया है क्योंकि घटक-I और घटक-III के लिए आवेदन दिनांक 15.12.2026 तक तथा घटक-II के लिए आवेदन दिनांक 31.12.2026 तक स्वीकार किए जाएंगे।

अनुलग्नक

'एसएएससीआई के तहत खनन-सुधार प्रोत्साहन' के संबंध में दिनांक 12.08.2026 को उत्तर देने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. †4112 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2025-26 में जारी की गई राशि (₹ करोड़)
1	आंध्र प्रदेश	100
2	असम	500
3	गोवा	500
4	गुजरात	500
5	हिमाचल प्रदेश	100
6	केरल	100
7	महाराष्ट्र	100
8	मिज़ोरम	100
9	नागालैंड	100
10	पंजाब	200
11	राजस्थान	200
12	सिक्किम	100
13	त्रिपुरा	100
14	उत्तराखंड	200
15	जम्मू और कश्मीर	100
कुल		3000